न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता चास।

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, चास(बोकारो)।

विविध वाद संख्या– 22/2013–14

महाबीर साहु –बनाम्– रमजान खान एवं अन्य

–:आदेश:–

अनुसूची 14–फारम सं0 563

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
30/5/19	प्रस्तुत वाद की कार्रवाई आवेदक महाबीर साहु, पिता स्व0 शिबु साहु, सचिव– गाँधी सहकारी गृह निर्माण समिति लि0 सा0 सेक्टर 4/F, क्वा0नं0– 2012, थाना सेक्टर 4, जिला बोकारो द्वारा अंचल अधिकारी, चास के दाखिल खारिज वाद सं0 1358(VII)/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 12.07.2013 के विरूद्ध अपने विज्ञ अधिवक्ता के माध्यम से समर्पित आवेदन के आलोक में प्रारंभ किया गया है। साथ ही समय को छान्त करने हेतु U/S 5 Limitation Act के तहत आवेदन दाखिल किया गया। तत्पश्चात् इस न्यायालय द्वारा आवेदन को स्वीकृत करते हुए उभय पक्षों को सूचना निर्गत कर सुनवाई प्रारंभ की गई।	

विवादित भूमि

मौजा	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकवा
नारायणपुर	33	135	1512	2.01ए0 के मध्ये 0.44ए0

आवेदक द्वारा उल्लेंखित किया गया है कि गाँधी सहकारी गृह निर्माण समिति लिमिटेड विभिन्न रैयतों से मौजा नारायणपुर के अन्तर्गत खाता सं0 135, खेसरा सं0 1512 में रकवा 2.01ए में से 0.44ए0 भूमि प्राप्त किया है। जिसका दाखिल खारिज केस नं0 2369(III)/1989–90 है तथा तब से भूमि पर दखल–कब्जा है एवं राजस्व का भुगतान करते आ रहे है। इनके द्वारा बताया गया है कि विपक्षी सं0 1 एवं 2 द्वारा उक्त भूमि को गलत केवाला सं0 10939 दिनांक 29.12.1940 के आधार पर अंचल अधिकारी, चास से दाखिल खारिज केस सं0 1358(VII)/2013–14 दिनांक 12.07.2013 को स्वीकृत करवा लिया गया है। जिसकी जानकारी उन्हें दिनांक 06.01.2014 को प्राप्त हुआ है एवं उक्त आदेश की प्रति दिनांक 10.01.2014 को प्राप्त किया गया। तत्पश्चात् वर्तमान में विविध वाद दायर किया गया है। साथ ही इनके द्वारा यह भी बताया गया है कि पूर्व में उक्त भूमि का दाखिल खारिज हो चुका है। पुनः उसी भूमि का दाखिल खारिज होना विधि विरूद्ध है। पुनः आवेदक द्वारा दिनांक 24.02.2015 को न्यायालय में Miss Case 22/2013–14 को दाखिल खारिज अपील में परिवर्तित करने हेतु आवेदन दाखिल किया गया। इनके द्वारा उल्लेंख किया है कि Tenant Holding (Maintenance of Record) Act. के धारा 15 के तहत अंचल अधिकारी, चास के द्वारा पारित आदेश का अपील या रिविजन करने का प्रावधान है। इनके द्वारा न्यायहित में विविध वाद को दाखिल खारिज अपील में परिवर्तित करने का अनुरोध किया गया है।

द्वितीय पक्ष द्वारा अपना प्रतिउत्तर दाखिल किया गया है। उनके द्वारा उल्लेंख किया गया है कि वर्तमान वाद चलने योग्य नहीं है। दोनों ही आवेदन Limitation Law के विरूद्ध दाखिल किया गया है। आवेदक का आवेदन Pre-mature एवं बिहार Tenant एवं Maintenance of Record Act. के धारा 14 एवं 15 के विरूद्ध निर्धारित समयसीमा में दाखिल नहीं किया गया

120
अनुसूची 14—फारम सं0 563

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
	है। विपक्षी द्वारा उल्लेख किया है कि मौजा नारायणपुर के अन्तर्गत खाता सं0 135, प्लॉट सं0 1512 कुल रकवा 2.01ए0 भूमि मुल्तान खाँन, पिता स्व0 इनायत खान के द्वारा केवाला सं0 2582 दिनांक 21.03.1940 को पीरू खान, पिता रहमली खान से स्पष्ट चौहद्दी के साथ खरीदगी की गई है। खरीदगी के पश्चात् मुल्तान खान विभिन्न प्रकार के फसल उपजाकर दखलकार थे, उसके बाद उनके उत्तराधिकारी विपक्षी सं0 1 एवं 2 दखलकार हुए। इनके द्वारा अंचल अधिकारी, चास से दाखिल खारिज केस सं0 1358(VII)/2013—14 स्वीकृत करवाकर नियमित रूप से राजस्व का भुगतान करते आ रहे है। अंचल अधिकारी, चास के द्वारा निर्गत शुद्धि पत्र में लिपकीय भुल के कारण केवाला सं0 2582 दिनांक 21.03.1940 के स्थान पर केवाला सं0 10939 दिनांक 29.12. 1940 अंकित हो गया था, जिसे अंचल अधिकारी, चास के द्वारा सुधार कर नया शुद्धि पत्र निर्गत किया गया। अंचल अधिकारी, चास के द्वारा भू—सत्यापन प्रमाण पत्र सं0 190 दिनांक 07.03.2015 विपक्षी को निर्गत किया गया, जो विपक्षी सं0 1 एवं 2 के दखल को प्रमाणित करता है। उन्होने यह भी उल्लेख किया कि अंचल अधिकारी, चास के द्वारा पारित आदेश वैधानिक तार्किक एवं विधि सम्मत है। जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित प्रतित नहीं होता है। अन्त में इनके द्वारा आवेदक के आवेदन को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुना उनके द्वारा दाखिल कागजातों एवं लिखित जवाब का अवलोकन किया। आवेदक के द्वारा अंचल अधिकारी, चास के दाखिल खारिज वाद सं0 1358(VII)/2013—14 में पारित आदेश दिनांक 12.07.2013 के विरूद्ध विविध वाद दायर किया गया एवं तत्पश्चात् उक्त वाद को नामांतरण अपील वाद में परिवर्तित करने का अनुरोध किया गया है। इनके द्वारा मौजा नारायणपुर, थाना नं0 33 के अन्तर्गत खाता नं0 135, प्लॉट नं0 1512, रकवा 2.01ए0 के मध्ये रकवा 0.44ए0 भूमि के संबंध में कोई ठोस कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। जवकि द्वितीय पक्ष को निबंधित केवाला सं0 2582 दिनांक 21.03.1940 से खरीदगी के द्वारा मौजा नारायणपुर, थाना नं0 33 के अन्तर्गत खाता नं0 135, प्लॉट नं0 1512, रकवा 2.01ए0 भूमि प्राप्त है। अंचल अधिकारी, चास द्वारा उक्त भूमि का दाखिल खारिज वाद सं0 1358(VII)/2013—14 दिनांक 12.07.2013 को स्वीकृत किया गया है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि द्वितीय पक्ष अपने भूमि पर दखलकार है। प्रथम पक्ष का दावा निराधार है। साथ ही आवेदक द्वारा ससमय नामान्तरण अपील वाद दाखिल नहीं किया गया है। उक्त परिपेक्ष में प्रथम पक्ष के द्वारा समर्पित आवेदन को खारिज किया जाता है एवं वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित। 30/05/20 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चास। 30/05/20 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, चास।	01/09/20

Digitally signed by PRABHASH KUMAR DUTTA
Date: 2025.03.18 19:08:39 +05:30
Location: 192.168.1.42

प्रथम पक्ष